संख्या- 4/2016/196/चालीस-2016-27(1)/2015

प्रेषक,

अशोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अनु सचिव/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
शिक्षा सचिव शाखा,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 05 मार्च, 2016

विषय: उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद, उत्तर प्रदेश के साथ दिनांक 11-6-2015 से 02-8-2015 तक सम्बद्ध वाहन के किराये के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उपाध्यक्ष राज्य एकीकरण परिषद, उ0प्र0 के साथ दिनांक 11-6-2015 से 02-8-2015 तक सम्बद्ध वाहन के किराये का भुगतान मेसर्स एन0 पी0 ट्रेवेल्स, सहारा शापिंग सेण्टर, फैजाबाद रोड, लखनऊ को किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-53 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06-राज्य एकीकरण परिषद के उपाध्यक्ष को देय सुविधायें-06-अन्य भत्ते से रू0 50,000/-, 07-मानदेय से रू0-13,000/- एवं 22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि से रू0 90,000/- अर्थात कुल रू0 1,53,000/- की धनरशि लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06- राज्य एकीकरण परिषद के उपाध्यक्ष को देय सुविधायें-15-गाडि.यों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद में शासन के पत्र संख्या-116/चालीस-2016-27(1)2015, दिनांक 25-2-2016 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोग की गई, उक्त धनराशि के सापेक्ष आवश्यक देय धनराशि रू0 1,52,137/- (रूपये एक लाख बावन हजार एक सौ सैंतीस मात्र) स्वीकृत किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-53 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06 राज्य एकीकरण परिषद के उपाध्यक्ष को देय सुविधायें-15-गाडि.यों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि में से 02 प्रतिशत आयकर एवं 0.24 प्रतिशत सरचार्ज की कटौती करके अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा। काटे गये आयकर एवं सरचार्ज की धनराशि को आयकर विभाग में जमा करके अप्रैल में प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। फर्म द्वारा नियमानुसार सर्विस टैक्स का भुगतान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,

अशोक कुमार
सचिव,

संख्या-4/2016/196(1)/चालीस-2016-27(1)/2015,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अनुभाग अधिकारी (लेखा), शिक्षा सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश शासन को तीन प्रतियों में।
6- वित्त सामान्य अनुभाग-2/ राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9
8- मेसर्स एन0 पी0 ट्रेवेल्स, सहारा शापिंग सेण्टर, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अभय कुमार बाजपेई
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in